न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी

पिठासीन अधिकारी :– अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 25/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. दलपतसिंह पुत्र आईदानसिंह जाति राजपुत निवासी बापिणी, तहसील बापिणी जिला फलौदी।		1. रेंवतसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपुत निवासी कडवा तहसील बापिणी जिला फलौदी। 2. स्वरूपकंवर पत्नी मुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी लोडता अचलावता तहसील बालेसर जिला जोधपुर 3. उशाकंवर पत्नी भंवरसिंह 4. मुलकंवर पत्नी इंद्रसिंह 5. अन्तरकंवर पत्नी गंगासिंह सभी जाति राजपुत निवासी बापिणी तहसील बापिणी जिला फलौदी। 6. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री रघुवीरसिंह भाटी।
अधिवक्ता अप्रार्थीगण सख्या :–(1 से 5) ओर से कोई नहीं।
अधिवक्ता अप्रार्थीगण सख्याः– (6) राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 07/10/2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 816/1 रकबा 3.2051 हैक्टेयर की स्थित है प्रार्थीगण की उक्त खसरें. भूमि के आगे अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 815 रकबा 3.5855 हैक्टेयर की जमीन आई हुई है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 816/1 से खसरा नम्बर 815 में से आगे चल रही डामर तक आवागमन के लिए कोई रास्ता नही होने से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 01–05 को रास्ता अप्रार्थीगण के नाम की जमीन खसरा नम्बर 815 में से मार्ग राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया। लेकिन अप्रार्थीगण ने रास्ता दिये जाने से साफ इन्कार कर दिया। जिस पर प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान का तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण को भेजे गये समन की डाक रसीद न्यायालय में पेश की। जो सामिल मिसल की गयी। अप्रार्थीगण संख्यां 01–05 को सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर देने के बावजुद की कोई उपस्थित नहीं हुऐ।

प्रकरण में तहसीलदार बापिणी से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार बापिणी की ओर से दिनांक 09.09.2025 को मौका जांच कर रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थीगण संख्या 01–05 को लम्बा समय एवं अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ

के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती। तहसीलदार बापिणी से मौका जांच र्ट तैयार कर दिनांक 09.09.2025 को इस न्यायालय को प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल गयी। पत्रावली अन्तिम बहस के लिए मुकरर की गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में ागमन का कोई वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा रास्ता नहीं होने से र्थीगण संख्या 01–05 की खातेदारी में से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। लेकिन र्थीगण ने इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आवागमन के लिए डामर सडक प्रार्थीगण भूमि में से ही निकटतम रास्ता पड़ता है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में ागमन के लिए भारी समस्याओ का सामना करना पड़ता है। तथा मौका रिपोर्ट से भी स्पश्ट के प्रार्थीगण को आवागमन के लिए रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से सर्वाधिक निजदीक उपयोगी रहेगा। ओर कोई दुसरा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। इसलिए प्रार्थीगण का ना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया जावें।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना उस पर मनन ा गया। पत्रावली का गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 816/1 से खसरा नम्बर 815 में से आवागमन के लिए कोई ल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं पाया गया। प्रार्थीगण को रास्ता की आत्यधिक आवश्यकता है। ीलदार बापिणी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 816/1 से 813 में ागमन के लिए सडक मार्ग से बिच में अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 815 में से सर्वाधिकत टतम रास्ता पड़ता है। कि प्रार्थीगण के आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। चहा गया रास्ता कटाण मार्ग से सर्वाधिक निकटतम है ओर प्रार्थीगण को रास्ता की श्यकता है। इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी का ना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान का तकारी अधिनियम का स्वीकार ा जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम बापिणी में स्थित प्रार्थीगण के खसरा नम्बर /1 से ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 815 में से आवागमन के लिए अप्रार्थीगण संख्यां 05 की खातेदारी भुमि खेत खसरा नम्बर 815 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से 20 फीट चौड़ा दिनांक 20.06.2025 की फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शाये मार्क ए से बी तक 79 मीटर लम्बा ा अप्रार्थीगण संख्यां 01–05 को प्रचलित डिएलसी राशि की दुगनी राशि प्रतिकर के रूप वीकृत किया जाता है। तहसीलदार बापिणी को आदेश दिया जाता है । कि फर्द मौका र्ट में दर्शाये मार्क ए से बी बिन्दु तक 20 फीट चौड़ाई के अनुसार 79 मीटर लम्बाई की ा करने के पश्चात रास्ते के रकबें की डिएलसी राशि की दुगनी राशि प्रार्थीगण द्वारा अदा दिये जाने के बाद अप्रार्थीगण संख्या 01–05 के खसरा नम्बर 815 मे से कम किया जाकर ा का अंकन राजस्व रेकॉर्ड में राज हक के पक्ष में किया जावें एवं नक्शा में रास्ते की म की जावें। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2025 को बनाई जो इस निर्णय का भाग । तहसीलदार बापिणी को निर्णय पालनार्थ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर बापिणी